निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 166/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती रितु डंगायच पत्नी श्री विष्णु कुमार डगायच
2. अंकिता डंगायच पत्नी श्री विनय कुमार डंगायच
3. श्रीमती सोनी डंगायच पत्नी श्री विनोद डंगायच

समस्त जाति महाजन, निवासी ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र कल्याण जाति महाजन निवासी ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
2. तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
4. उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 23/2021 व टी आई संख्या 25/2021 ब उनवानी श्रीमती रितु डंगायच वगैरह बनाम नाथूलाल वगैरह को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री दिनेश पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 22.02.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 23/2021 व टी आई संख्या 25 /2021 ब उनवानी श्रीमती रितु डंगायच वगैरह बनाम नाथूलाल वगैरह विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश पारीक ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण ने एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कहते हुये पेश किया कि वादिनीगण के स्वामित्व व खातेदारी की भूमि वाके ग्राम बस्सी में स्थित है एवं वादिनीगण के

जिला कलक्टर
जयपुर

स्वमित्व की भूमि के सटवा प्रतिवादी संख्या एक के स्वामित्व व खातेदारी की भूमि स्थित है। प्रतिवादी संख्या एक आये दिन सीना जोड का फायदा उठा कर वादिनीगण के स्वामित्व की भूमि को अपनी खातेदारी भूमि में शामिल करते हुये उस पर पुख्ता निर्माण करने एवं उसको विक्रय करने पर आमाद है। अप्रार्थी संख्या एक काफी धनबल, भुजबल एवं ऊंची राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है जो कि पैसे के बल पर अप्रार्थी संख्या 4 से मिलीभगत कर प्रकरण का निस्तारण प्रार्थीगण के खिलाफ करवा कर रहेंगें। प्रार्थीनीगण के पति के पहचान वाले व्यक्ति ने कई मर्तबा अप्रार्थी संख्या एक के पुत्रों को शाम के समय पीठासीन अधिकारी के चेम्बर के आस–पास घूमते हुये देखा है। प्रार्थीनीगण को भय है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पुत्रों के प्रभाव में आकर प्रार्थीगण के खिलाफ निर्णय पारित कर सकते है। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पुत्र कानून की मंशा के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 4 से पत्रावली में निर्णय पारित करवा सकते है। इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 4 से न्याय की आशा नही है। प्रार्थीनीगण के पतियों को उनके परिचित ने दिनांक 13.11.2021 को यह बताया कि राजस्व कैम्प दिनांक 23.11.2021 को प्रार्थी संख्या एक अपने पक्ष में बिना कुछ कराये ही फैसला करवा लेगा। प्रार्थी को भय है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजस्व कैम्प की आड में अप्रार्थी के प्रभाव में आ कर प्रार्थीनीगण के खिलाफ निर्णय पारित कर सकते है इसलिए प्रार्थीनीगण को अप्रार्थी संख्या चार से न्याय की आशा नही है। अतः प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी के विरूद्व भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया था जो माननीय न्यायालय के प्रकरण संख्या 79/20212 ब उनवानी रितु डंगायच बनाम नाथू लाल व अन्य दिनांक 02.08.2021 को खारिज किया जा चुका है। अब नये पीठासीन अधिकारी के आने पर उनके विरूद्व प्रार्थी द्वारा पुनः यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः भारी कोस्ट लगाते हुये मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी के विरूद्व भी मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रभाव शून्य (Infructuous) हो जाने से दिनांक 02.08.2021को खारिज किया जा चुका है। अब प्रार्थीगण द्वारा नये पीठासीन अधिकारी के विरूद्व भी पूर्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित पैरा नम्बर 2, 3 व 4 की हूबहू नकल करते हुये पुनः यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस प्रकार पूर्व में खारिज मुन्तकिल प्रार्थना पत्र की भाषा और इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र की भाषा लगभग समान है। सम्पूर्ण मामले का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि प्रार्थीगण बार बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर येनकेन प्रकारेण मामले को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने की मन्शा स्पष्ट जाहिर होती है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। ऐसी मानसिकता पर रोक लगाया जाना

जिला कलक्टर
जयपुर

आवश्यक है। इसलिए हम इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को कोस्ट लगा कर खारिज किया जाना उचित समझते है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र 500/—रूपये (अक्षरे पांच सौ रूपयें) की कोस्ट लगाते हुये खारिज किया जाता है।

8. प्रार्थीगण कोस्ट की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महानगर जयपुर में जमा करा कर रसीद की फोटो प्रति इस न्यायालय एवं उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन वाद में प्रस्तुत करें।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली ... से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक **22.02.2022** को सरे इजलास सुनाया गया ।

(सजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर